TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA
****

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES.

NEW DELHI, DATED: 19-9-83

NOTIFICATION
INCOME-TAX

No. 5402 (F. No. 261/30/82-ITJ):

No. : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, (43 of 1961) and all other powers enabling in that behalf and in partial modification of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Asstt. Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of the persons and income assessed to Income-tax or Supertax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :-

Sl. No.	Schedule Range	Income-tax Circles, Wards & Districts
1.	2.	3.
1.	A.A.C., Range - I, Agra	Income-tax Offices, B,D,E,F Wards of Circle-I, Agra & S.I.C., Agra. Manipuri Circle Fatehgarh Circle Jhansi Circle Lalitpur Circle.
2.	A.A.C., Range-II, Agra	Income-tax Offices, B,C,D,E,F,G & Salary Circle of Circle - II, Agra Estate Duty, Agra Mathura Circle Firozabad Circle Etawah Circle.
3.	A.A.C., Range-III, Agra	Income-tax Offices, A,C,G, Wards of Circle - I, Agra. A Ward of Circle - II, Agra Central Circle - I, Agra Central Circle - II, Agra Aligarh Circle Hathras Circle Etah Circle

Contd......2/-

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another appeals arising out of Assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Office, Circle, Ward or District or part thereof is transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1 - 8 - 1983.

(K.M. SOLTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes
New Delhi.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Agra
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
3. A.D.I.(RS & P) Bullettin Section, New Delhi
4. E.D. Section / Ad. VI Section
5. Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, ,Shastri Bhavan, New Delhi.

(K.M. SOLTAN)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes
New Delhi.

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनाँक 19-9-83

अधिसूचना

आयकर

सं0 5400 (फा0सं0 261/30/82-आ0क0न्या0): आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिकार देने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, वार्डों तथा जिलों में आयकर अथवा अधि-कर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहण करेंगे।

क्र0सं0	निर्धारित रेंज	आयकर परिमंडल, वार्ड तथा जिले
1	2	3
1.	अ0स0आ0, रेंज-1 आगरा	आयकर कार्यालय, परिमंडल-1, आगरा के [illegible] आगरा ख, ध, ड, च वार्ड तथा एस0आई0सी0, [illegible] मणिपुरी परिमंडल फतेहगढ़ परिमंडल झांसी परिमंडल ललितपुर परिमंडल

(क्र0पृ0उ0)

1	2	3
2.	आ०स० आयुक्त, रेंज-II, आगरा	परिमंडल II, आगरा का वेतन परिमंडल तथा आयकर कार्यालय ख, ग, घ, ड, च, छ सम्पदा शुल्क, आगरा मथुरा परिमंडल फिरोजाबाद परिमंडल इटावा परिमंडल
3.	अपीलीय सहायक आयुक्त, रेंज -III, आगरा	आगरा परिमंडल -I के वार्ड क, ग, छ आयकर कार्यालय आगरा परिमंडल -II का वार्ड, क केन्द्रीय परिमंडल -I, आगरा केन्द्रीय परिमंडल- II, आगरा अलीगढ परिमंडल हाथरस परिमंडल एटा परिमंडल

जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से अन्य रेंज में अंतरित कर दिया जाता है, उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटायी जायेंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो ।

यह अधिसूचना 1-6-1983 से लागू होगी ।

के० एम० सुल्तान

(के०एम० सुल्तान)

अवर सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली ।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी नई दिल्ली ।